मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना

राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड

गांधी ब्लॉक, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर–302005
फोन नः 0141–2228066, फैक्स नः 0141–2228065
CIN: U24232RJ2011SGC035067
ई–मेलः rmsc@nic.in
Website: www.rmsc.nic.in

क्रमांक : एफ.04( )/आरएमएससी/विशेषाधिकारी/06–2017–18/2017/570 दिनांक 13.04.2018

कार्यालय ओदश

M/s United Biotech Private Limited, FC-B-1(Extn), Mohan Co-Op. Industrial Estate, Mathura Road, New Delhi-110044 को औषधियों की निविदा क्रमांक F.02(158)/RMSC/PROCUREMENT/DRUG/NIB-08/2015/1069 Dated 07.08.2015 के तहत औषधि Ifosfamide Injection USP/BP 1gm (code no. 533) के क्रयादेश क्रमांक 152 दिनांक 21.04.2017 के द्वारा 1800 मात्रा, क्रयादेश क्रमांक 1477 दिनांक 24.08.2017 के द्वारा 1700 मात्रा एवं क्रयादेश क्रमांक 1846 दिनांक 29.09.2017 के द्वारा 1300 मात्रा 60 दिवस में आपूर्ति किये जाने हेतु जारी किये गये थे। फर्म द्वारा समय–समय पर औषधि आपूर्ति किये जाने हेतु निगम से अतिरिक्त समयावृद्धि अनुमत कराई गई।

फर्म द्वारा निर्धारित समय पर एवं अनुमत अतिरिक्त समयावृद्धि में उक्त औषधि के जारी क्रयादेशों के विरूद्ध आपूर्ति नहीं की गई। उक्त औषधि अतिआवश्यक औषधि की श्रेणी में आने के कारण इसके अभाव में राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजना पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। इस प्रकरण का एजेण्डा तैयार कर दिनांक 15.03.2018 को अनुशासनात्मक समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ रखा गया। इस सम्बन्ध में निर्माता फर्म को दिनांक 16.03.2018 को अनुशासनात्मक समिति के समक्ष अपना पक्ष रखने हेतु लिखा गया। दिनांक 21.03.2018 को निगम की अनुशासनात्मक समिति की बैठक आयोजित की गई। फर्म को सुनवाई का अवसर दिया गया, जिसमें फर्म की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि को सुना गया। अनुशासनात्मक समिति ने विचार–विमर्श कर पाया कि उक्त फर्म को नियमित रूप से तीन क्रयादेश जारी किए जाने के उपरान्त भी औषधि की कोई मात्रा आपूर्ति नहीं की गई हैं, जो आर.एम.एस.सी.एल. से हुए अनुबन्ध का उल्लघंन है। अतः अनुशासनात्मक समिति के निर्णय की अभिशंषा के आधार पर निविदा शर्त संख्या 13(8) के अनुसार निर्माता फर्म M/s United Biotech Private Limited की औषधि Ifosfamide Injection USP/BP 1gm (code no. 533) को यह आदेश जारी करने की दिनांक से दो वर्ष के लिए डिबार किया जाता है। निगम द्वारा जारी पूर्व क्रयादेशों की आपूर्ति पर इसका कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा।

13.4.18

(महावीर प्रसाद शर्मा)
प्रबन्ध निदेशक

\\10.130.17.55\Mahesh Verma\Letter (Hindi)1.docx

मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना

क्रमांक : प. 4( )/आरएमएससी/विशेषाधिकारी/सप्लाई/2018/570 दिनांक : 13.04.2018

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, महाराष्ट्र।
5. मिशन निदेशक, एन.एच.एम, जयपुर।
6. निजी सहायक, प्रबन्ध निदेशक, आरएमएससी, जयपुर।
7. निदेशक PH/RCH/HA/AIDS/MSU/IEC चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
8. Drug Controller General (India)New Delhi.
9. औषधि नियंत्रक, राजस्थान/महाराष्ट्र।
10. कार्यकारी निदेशक (गुणवत्ता नियंत्रण/वित्त), आरएमएससी, जयपुर।
11. M/s United Biotech Private Limited, FC-B-1(Extn), Mohan Co-Op. Industrial Estate, Mathura Road, New Delhi-110044
12. गार्ड फाइल।

विशेषाधिकारी
आरएमएससी